न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

(बईजलास पीठासीन अधिकारी बिन्दु बाला राजावत आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.– 81/2021 ई0रे0 दिनांक: 22.08.2023

1– हिम्मतसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत नि. शिवपुरा नयाखेडा तहसील बडीसादडी
2– विजयसिंह पिता भंवरसिह राजपूत नि. शिवपुरा नयाखेडा तहसील बडीसादडी

– वादीगण

।।बनाम ।।

1– नारायण कुंवर पत्नी भंवरसिह राजपूत नि. शिवपुरा नयाखेडा तहसील बडीसादडी
2– फतेहसिंह पिता देवीसिंह राजपूत नि. शिवपुरा नयाखेडा तहसील बडीसादडी
3– अमरसिंह पिता देवीसिंह राजपूत नि. शिवपुरा नयाखेडा तहसील बडीसादडी
4– निर्भयसिंह पिता देवीसिंह राजपूत नि. शिवपुरा नयाखेडा तहसील बडीसादडी
5– निहाल कुंवर पिता देवीसिंह राजपूत नि. शिवपुरा नयाखेडा तहसील बडीसादडी
6– मदन कुंवर पिता देवीसिंह राजपूत नि. शिवपुरा नयाखेडा तहसील बडीसादडी
7– भूमिधारी तहसीलदार बडीसादडी

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट

निर्णय

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 आर.टी.एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि मौजा शिवपुरा पटवार हल्का केवलपुरा तहसील बडीसादडी के खाता सं. 2 की आराजी नं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18 में वादीगण की पुश्तैनी पैतृक होकर उक्त आराजीयात वादीगण की दादी व प्रतिवादीगण क्रमांक 1 से लगायत 6 की माता चुण्डावत जी साकिन खुम जी का खेडा के नाम जिनका सरकारी दस्तावेजों में नाम राम कुवर होकर उनके नाम दर्ज रिकार्ड है। कुछ आराजी राम कुंवर के नाम से तथा कुछ आराजी चुण्डावती जी खुम जी खेडा के नाम से दर्ज होकर दोनो ही एक ही होकर राजस्व रिकार्ड मे अलग–अलग दर्ज है। श्रीमती राम कुंवर ने आराजी मे नाम शुद्धी बाबत आवेदन वर्ष 2016 मे किया जिसमें कुछ आराजी में तो नाम शुद्ध हो गया पर कुछ में रह गया तथा वर्तमान में खातेदार राम कुंवर पत्नी देवीसिंह उर्फ श्रीमती चुण्डावत जी खुम जी का खेडा का देहावसान दिनांक 26.03.2021 को हो गया है। तथा वादीगण व प्रतिवादीगण उनके विधिक वारीसान होकर उपरोक्त वर्णित आराजी पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग कर रहे है। उक्त आराजीयात में वादीगण विजयसिह, हिम्मतसिंह, व प्रतिवादीया क्रमांक 1 नारायण कुंवर का संयुक्त रूप से 1/6 हक हिस्सा प्रतिवादी क्रमांक 2 फतेहसिंह का 1/6 हक हिस्सा प्रतिवादी क्रमांक 3 अमरसिंह का 1/6 हक हिस्सा प्रतिवादी क्रमांक 4 निर्भयसिंह का 1/6 एवं प्रतिवादी क्रमांक 5 निहाल कुंवर का 1/6 हक व प्रतिवादीया क्रमांक 6 मदन कुंवर का 1/6 हक हिस्सा होकर [illegible] अनुसार खातेदारी में घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी है। वादीगण द्वारा विरासत से नामान्तरण दर्ज बाबत आवेदन किया तो पटवारी हल्का द्वारा एक ही [illegible] के दो नाम होने से नामान्तरण खोलने मे असमर्थता जाहीर कर दी ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.09.05 11:23:17 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण बाद जांच पेश हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। प्रतिवाद्दीगण की ओर से शाहनवान खान एडवोकेट ने इकबालिया जवाब पेश किया जिसमें यह स्वीकार किया कि वादग्रस्त आराजीयात वादीगण व प्रतिवादीगण की

पुश्तैनी पेतृक है। इसलिए तनकीयात कायम नहीं की गई । साक्ष्यवादी मे विजयसिंह PW-1 तथा हिम्मतसिंह PW-2 के शपथ पत्र पेश किये गये।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई । बहस में वकील वादी ने निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात मौजा शिवपुरा में स्थित होकर वादीगण की पुश्तैनी पैतृक होकर वादीगण की दादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 से लगायत 6 की माता चुण्डावत जी साकिन खुम जी का खेडा के नाम दर्ज होकर सरकारी दस्तावेजों मे नाम राम कुवर होकर उनके नाम दर्ज रिकोर्ड है। कुछ आराजी रामकुंवर के नाम से तथा कुछ आराजी चुण्डावत जी के नाम होकर दोनो एक ही होकर राजस्व रिकोर्ड में अलग–अलग दर्ज है। वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण 1 व 2 और प्रतिवादी क्रमांक 1 का संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी नं. 2 का 1/6 प्रतिवादी क्रमांक 3 का 1/6, प्रतिवादी क्रमांक 4 का 1/6 व प्रतिवादी क्रमांक 5 व 6 का प्रत्येक का 1/6 हिस्सा होकर इसी अनुसार वादी–वादी स्वीकार करवाया जाकर डिक्री पारीत की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया । बहस पर मनन किया जिसे हम यह पाते है कि वादग्रस्त आराजीयात वर्तमान में चुण्डावत जी साकिन खुमजी का खेडा के नाम राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज है। वाद पत्र अनुसार वादीगण द्वारा पुश्तैनी पैतृक होने से चुण्डावत जी साकिन खुमजी का खेडा के नाम भूमि कहां से प्राप्त हुई । जिसके कोई दस्तावेजों साक्ष्य जमाबंदी एवं अन्य कोई पत्रादि पेश नहीं किये है जिसे यह माना जा सके कि वाद ग्रस्त आराजीयात पुश्तैनी पैतृक है। केवल साक्ष्य व इकबालिया जवाब दावा के आधार पर खातेदारी घोषणा वादीगण के पक्ष में नहीं की जा सकती है।

इसलिए वाद वादीगण साबित करने में असफल रहने से खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है । अतः वाद–वादीगण साबित करने में असफल रहने से खारिज किया जाता है।

इसी आशय का पर्चा डिक्री अलग से बनाया जावे।

निर्णय सरे ईजलास लिखाया जाकर आज दिनांक 22.08.2022 को सुनाया गया।

(बिन्दु बाला राजावत) आर.ए.एस
सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.09.05 11:23:17 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6, 7 जा,दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

बिन्दुबाला राजावत आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

प्रकरण सं.– **81/2021 ई0रे0** दिनांकः **22.08.2023**

1– हिम्मतसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत नि. शिवपुरा नयाखेडा तहसील बडीसादडी
2– विजयसिंह पिता भंवरसिह राजपूत नि. शिवपुरा नयाखेडा तहसील बडीसादडी

– वादीगण

।।**बनाम** ।।

1– नारायण कुंवर पत्नी भंवरसिह राजपूत नि. शिवपुरा नयाखेडा तहसील बडीसादडी
2– फतेहसिंह पिता देवीसिंह राजपूत नि. शिवपुरा नयाखेडा तहसील बडीसादडी
3– अमरसिंह पिता देवीसिंह राजपूत नि. शिवपुरा नयाखेडा तहसील बडीसादडी
4– निर्भयसिंह पिता देवीसिंह राजपूत नि. शिवपुरा नयाखेडा तहसील बडीसादडी
5– निहाल कुंवर पिता देवीसिंह राजपूत नि. शिवपुरा नयाखेडा तहसील बडीसादडी
6– मदन कुंवर पिता देवीसिंह राजपूत नि. शिवपुरा नयाखेडा तहसील बडीसादडी
7– भूमिधारी तहसीलदार बडीसादडी

– प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट</u>

वादीगण की ओर से वकील जी.एस. झाला तथा प्रतिवादीगण की ओर से शाहनवाज खान् की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अंतिम डिक्री के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि वादी अपना वाद पत्र साबित करने मे असफल रहा है। इसलिये खारिज किया जाता है।

इस वाद के खर्चे.......... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित......... को दी जावे। यह आज दिनांक 22.08.2023 .को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।

(बिन्दुबाला राजावत)आर.ए.एस
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (प्रथम) बड़ीसादड़ी चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.09.05 11:23:17 IST
Reason: SelfAttested